न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– रमेशकुमार कुमार आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 24/2025

1. पुष्पादेवी पत्नी श्रवणकुमार जाति ब्राह्मण निवासी हनुमान हत्था, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर
2. रामदेव पुत्र श्रवणकुमार जाति ब्राह्मण निवासी हनुमान हत्था, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर
3. विष्णु पाण्डे पुत्र श्रवणकुमार जाति ब्राह्मण निवासी हनुमान हत्था, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर
4. सुशीला शर्मा पुत्री श्रवणकुमार जाति ब्राह्मण निवासी सुभाषपुरा, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. जगदीश पाण्डे पुत्र देवीराम दत्तक पिता रमेश कुमार पाण्डे जाति ब्राह्मण निवासी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला
3. सरपंच ग्राम पंचायत 34 केवाईडी

.... रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

आदेश दिनांक :– 28.05.2025

यह अपील अपीलान्ट्स द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री सलीम खान अन्तर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट प्रस्तुत की गई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि अपीलान्ट्स के देवर/चाचा रमेशकुमार पुत्र परसाराम जाति ब्राह्मण को राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 36 केवाईडी मु0नं0 161/53, 61 में कुल 6.2213 है0 क0/अ0क0 कृषि भूमि का 1/3 हिस्सा भूमि जरिये विरासतन प्राप्त हुई थी। अपीलांट्स के चाचा/देवर रमेशकुमार के लाऔलाद देहान्त के बाद इस भूमि का विरासतन इंतकाल रमेशकुमार के जायज वारिसान के नाम दर्ज होना चाहिए था, लेकिन रेस्पोडेट्स सं0 1 जगदीश पाण्डे द्वारा एक कूटरचित गोदनामा तैयार करवाकर उक्त भूमि का नामान्तरणकरण गोदनामा के आधार पर रेस्पोडेंट्स सं0 1 के नाम से दर्ज कर दिया गया है, के विरूद्ध यह अपील इन आधारो पर प्रस्तृत की गई है कि सरपंच ग्राम पंचायत 34 केवाईडी के आदेश दिनांक 05.06.2013 प्राकृतिक न्याय उसूलों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। रमेशकुमार पुत्र परसाराम अविवाहित था तथा रमेशकुमार का देहान्त लाऔलाद हो गया था। रमेशकुमार के लाऔलाद देहान्त हो जाने के बाद उसके जायज वारिसान पुष्पादेवी(भाभी), रामदेव(भतीजा), विष्णु पाण्डे(भतीजा), सुशीला(भतीजी) है। अपीलांट्स के देवर/चाचा के स्वर्गवास होने के पश्चात उक्त रकबा पर अपीलांट्स का संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर–बराबर हित निहित हो गया तथा उक्त रकबा पर अपीलांट्स संयुक्त रूप से काबिज काश्त हो गए। रेस्पोंडेट्स सं0 1 द्वारा कूटरचित गोदनामा के आधार पर दौराने स्थगन रमेशकुमार के नाम की उपरोक्त 1/3 कृषि भूमि का नामान्तरणकरण अपने नाम से दर्ज करवा लिया है। लेकिन अपीलांट्स को गोदनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज करने बाबत् न तो कोई नोटिस मिला और न ही इसकी जांच की गई कि स्व. रमेशकुमार के कौन विधिक जायज वारिसान है। उक्त निर्णय बिना जांच किये पीठ पीछे किया गया, इसलिए मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 05.06.2013 निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त कूटरचित गोदनामा की जानकारी

अपीलांट्स को मिलने पर अपीलांट्स ने न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं0 6, बीकानेर में एक दावा घोषणात्मक डिक्री बाबत् गोदनामा दिनांक 09.04.2007 पंजीकृत उप रजिस्ट्रार, बीकानेर को शून्य एवं अवैध घोषित करवाए जाने का पेश किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2004 को उक्त गोदनामा दिनांक 09.04.2007 को शून्य घोषित कर अपीलांट्स के पक्ष में डिक्री जारी कर दी गई। अपीलांट्स ही रमेशकुमार के जायज वारिसान है व हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वह ही उपरोक्त भूमि में वारिस होने के कारण हकदार है। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं0 6, बीकानेर द्वारा जारी डिक्री के आधार पर दिनांक 30.12.2024 को उप पंजीयक बीकानेर में भी गोदनामा निरस्ती का नोट अंकित करवा दिया गया। उसके पश्चात तहसीलदार खाजूवाला से गोदनामा निरस्ती के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु दिनांक 06.01.2025 को मिला तो दिनांक 10.01.2025 को तहसीलदार खाजूवाला ने कहा की आप सक्षम न्यायालय में इंतकाल निरस्त की अपील प्रस्तुत करें इसलिए अपीलांट्स अपने वकील से मिलकर व दस्तावेज तैयार करवाकर उक्त अपील बिना किसी देरी के पेश कर रहे है जो कि अन्दर मियाद है। फिर भी धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से प्रस्तुत है। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं0 6 बीकानेर द्वारा गोदनामा शून्य घोषित करने की डिक्री के आधार पर उक्त भूमि का नामान्तरणकरण सं0 73 को निरस्त कर उक्त भूमि का विरासतन नामान्तरणकरण अपीलांट्स अपने पक्ष में दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं0 6 बीकानेर द्वारा गोदनामा शून्य घोषित करने की डिक्री के आधार पर उक्त भूमि का गोदनामा के आधार पर दर्ज किये गए नामान्तरणकरण सं0 73 को निरस्त कर उक्त का विरासतन नामान्तरणकरण अपीलांट्स के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलवी नोटिस जारी किया गया जिसपर रेस्पोडेंट्स की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश टाक हाजिर आए। पत्रावली पर सुना गया। सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलांट ने बताया कि उक्त जैरअपील आदेश एकतरफातोर पर पारित हुआ है और जानकारी के अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाना है।

दौराने बहस अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमों के कथनों को दोहराते हुवे सरपंच ग्राम पंचायत 34 केवाईडी के निर्णय इंतकाल सं0 73 आदेश दिनांक 05.06.2013 निरस्त कर अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट्स के पक्ष में विरासतन नामान्तरणकरण दर्ज करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया। रेस्पो0 सं0 1 अधिवक्ता दौराने बहस अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने पर सहमति जताई है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार जैर अपील रकबा के संबंध में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं0 6 बीकानेर द्वारा दिनांक 12.04.2004 को उक्त गोदनामा दिनांक 09.04.2007 को शून्य घोषित कर अपीलांट्स के पक्ष में डिक्री जारी कर दी गई तथा रेस्पो0 सं0 1 अधिवक्ता ने भी अपील अपीलांट स्वीकार फरमाने पर सहमति प्रदान की है। अतः लोक अदालत की भावना से अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय/सरपंच ग्राम पंचायत 34 केवाईडी के निर्णय इंतकाल सं0 73 आदेश दिनांक 05.06.2013 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को इस आशय से रिमान्ड की जाती है कि अपीलांट्स को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पुनः नियमानुसार आदेश पारित करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेशकुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)